रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 14] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 6, 2017/पौष 16, 1938

No. 14] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 6, 2017/PAUSA 16, 1938

## वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 2017

**सा.का.नि. 14(अ).—**केंद्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 139क और धारा 285खक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (पहला संशोधन) नियम, 2017 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. आय-कर नियम, 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के नियम 114ख में, तीसरे परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परंतु यह भी कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसका किसी बैंककारी कंपनी या किसी सहकारी बैंक में रखा गया खाता (सारणी के क्रम संख्यांक 12 में निर्दिष्ट सावधी जमा और मूल बचत बैंक जमा खाता से भिन्न) है, जिसको बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) (जिसके अंतर्गत उस अधिनियम की धारा 51 में निर्दिष्ट कोई बैंक या बैंककारी संस्था भी है) लागू होता है और जिसने ऐसा खाता खोलने के समय या बाद में, यथास्थिति, अपना स्थायी लेखा संख्यांक का उल्लेख नहीं किया है या प्ररूप सं. 60 प्रस्तुत नहीं किया है, वह 28 फरवरी, 2017 को या उससे पहले नियम 114ग के उपनियम (1) के खंड (ग) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति को, यथास्थिति, अपना स्थायी लेखा संख्यांक या प्ररूप सं. 60 प्रस्तुत करेगा ।"।

3. मूल नियम के नियम 114ग में, उपनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:--

"3. उपनियम (1) या उपनियम (2) में निर्दिष्ट ऐसा व्यक्ति, जिसने ऐसा कोई दस्तावेज प्राप्त किया है जिसमें स्थायी लेखा संख्यांक का उल्लेख है, या यथास्थिति, प्ररूप सं. 60 में कोई घोषणा प्रस्तुत की गई है, यह सुनिश्चित करेगा कि विधिमान्य स्थायी लेखा संख्यांक या प्ररूप सं. 60 के प्रस्तुत किए जाने का तथ्य नियम 114ख में निर्दिष्ट संव्यवहारों के लिए रखे गए अभिलेखों में सम्यक्तः उल्लिखित है, और स्थायी लेखा संख्यांक या प्ररूप सं. 60 के ब्यौरे इस अधिनियम के किसी उपबंध या उसमें विहित किसी नियम के अधीन आय-कर प्राधिकारी या किसी अन्य प्राधिकारी या अभिकरण को प्रस्तुत की गई किसी जानकारी के साथ लिंक किए जाते हैं और उसमें उल्लिखित किए जाते हैं ।"।

4. मूल नियम के नियम 114घ के उपनियम (2) में, निम्नलिखित परंतुक अतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:--

"परंतु नियम 114ख के अधीन सारणी के क्रम संख्यांक (10) के स्तंभ (3) के खंड (ii) में सूचीबद्ध संव्यवहारों के संबंध में विवरण 15 जनवरी, 2017 को या उससे पहले प्रस्तुत किया जाएगा ।"।

5. मूल नियम के नियम 114ङ में,--

(i) उपनियम (2) की सारणी में, क्रम संख्यांक 12 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:--

| क्रम संख्यांक | संव्यवहार की प्रकृति और उसका मूल्य | व्यक्ति (रिपोर्ट करने वाले व्यक्ति) का वर्ग |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| "13. | ऐसे खातों जो क्रम संख्यांक 12 के अधीन रिपोर्ट करने योग्य हैं, के संबंध में 1 अप्रैल, 2016 से 9 नवंबर, 2016 तक की अवधि के दौरान नकद जमा । | (i) ऐसी कोई बैंककारी कंपनी या सहकारी बैंक जिसको बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) (जिसके अंतर्गत उस अधिनियम की धारा 51 में निर्दिष्ट कोई बैंक या बैंककारी संस्था भी है) लागू होता है ;<br>(ii) भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 (1898 का 6) की धारा 2 के खंड (ञ) में यथानिर्दिष्ट महा-डाकपाल ।"; |

(ii) उपनियम (5) के परंतुक में "क्रम संख्यांक (12)" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के पश्चात्, "और क्रम संख्यांक (13)" शब्द, कोष्ठक और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

6. मूल नियम के परिशिष्ट-2 के प्ररूप संख्या 61क के भाग ग में, 'ग.3' और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:--

| | | |
|---|---|---|
| "ग.3 | खाते का सार | |
| ग.3.1 | नकद रूप में खाते में जमा की गई समग्र सकल रकम | |
| ग.3.2 | नकद रूप में खाते में विकलित की गई समग्र सकल रकम | |
| ग.3.3 | 01 अप्रैल, 2016 से 08 नवंबर, 2016 तक नकद रूप में खाते में जमा की गई समग्र सकल रकम | |
| ग.3.4 | 09 नवम्बर, 2016 से 30 दिसंबर, 2016 तक नकद रूप में खाते में जमा की गई समग्र सकल रकम | |
| ग.3.5 | टिप्पणियां"। | |

[अधिसूचना सं. 2/2017/फा. सं. 370142/32/2016-टीपीएल]

डॉ. टी. एस. मपवाल, अवर सचिव

**टिप्पण :** मूल नियम अधिसूचना सं. का.आ. 969(अ) तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें अंतिम बार अधिसूचना सं. 4168(अ) तारीख 27 दिसम्बर, 2016 द्वारा संशोधन किए गए थे।

**MINISTRY OF FINANCE**

**(Department of Revenue)**

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 6th January, 2017

**G.S.R. 14(E)**.—In exercise of the powers conferred by section 139A and section 285BA, read with section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:—

1. (1) These rules may be called the Income–tax (1st Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Income-tax Rules, 1962 (hereinafter referred to as the principal rules), in rule 114B, after the third proviso, the following proviso shall be inserted namely,—

"Provided also that a person who has an account (other than a time deposit referred to at S.No.12 of the Table and a Basic Saving Bank Deposit Account) maintained with a banking company or a co-operative bank to which the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), applies (including any bank or banking institution referred to in section 51 of that Act) and has not quoted his permanent account number or furnished Form No. 60, as the case may be, at the time of opening of such account or subsequently, he shall furnish his permanent account number or Form No. 60, as the case may be, to the person specified in clause (c) of sub-rule (1) of rule 114C on or before the 28th day of February, 2017.".

3. In the principal rules, in rule 114C, after sub-rule (2), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

"3. The person referred to in sub-rule (1) or sub-rule (2) who has received any document in which permanent account number is mentioned or as the case may be, a declaration in Form No.60 has been furnished, shall ensure that the valid permanent account number or the fact of furnishing of Form No.60, is duly mentioned in the records maintained for the transactions referred to in rule 114B and the permanent account number or the details of Form No.60 are linked and mentioned in any information furnished to the income-tax authority or any other authority or agency under any provision of the Act or any rule prescribed therein.".

4. In the principal rules, in rule 114D, in sub-rule (2), the following proviso shall be inserted, namely:

"Provided that the statement in respect of the transactions listed in clause (ii) of column (3) of serial number (10) of the Table under rule 114B shall be furnished on or before the 15th day of January, 2017."

5. In the principal rules, in rule 114E,—

(i) in sub-rule (2), in the Table, after serial number 12 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:—

| **Sl. No.** | **Nature and value of transaction** | **Class of person (reporting person)** |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| "13. | Cash deposits during the period 1st April, 2016 to 9th November, 2016 in respect of accounts that are reportable under Sl.No.12. | (i) A banking company or a co-operative bank to which the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) applies (including any bank or banking institution referred to in section 51 of that Act);<br>(ii) Post Master General as referred to in clause (j) of section 2 of the Indian Post Office Act, 1898 (6 of 1898).''; |

(ii) in sub-rule (5), in the proviso, after the words, brackets and figures "serial number (12)", the words, brackets and figures "and serial number (13)" shall be inserted.

6. In the principal rules, in Appendix-II, in Form No.61A, in Part C, for 'C.3' and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

| **"C.3** | **ACCOUNT SUMMARY** | |
|---|---|---|
| C.3.1 | Aggregate gross amount credited to the account in cash | |
| C.3.2 | Aggregate gross amount debited to the account in cash | |
| C.3.3 | Aggregate gross amount credited to the account in cash from 1st day of April, 2016 to 8th November, 2016 | |
| C.3.4 | Aggregate gross amount credited to the account in cash from 9th day of November, 2016 to 30th day of December, 2016 | |
| C.3.5 | Remarks". | |

[Notification No. 2/2017/F. No. 370142/32/2016-TPL]

Dr. T. S. MAPWAL, Under Secy.

**Note :** The principal rules were published vide notification S.O. 969(E), dated the 26th March, 1962 and last amended *vide* notification S.O. 4168(E) dated the 27th December, 2016.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2017.01.07 09:34:45 +05'30'